न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **26/09 (वाद)**

GCMS No. : 2009/00171

1. श्री भमरू पिता स्व. जगरूप गुजर निवासी बडियार तह. मावली।
1/1 श्री भगु पिता भवरू गुजर निवासी बडियार तह. मावली।
1/2 श्रीमती भोली पत्नी बाघालाल गुजर निवासी भीमल तह. मावली।
1/3 श्रीमती कंकु पत्नी भेरूलाल गुजर निवासी बडियार का वाडा तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. श्री मांगु पिता गोकलचन्द गुर्जर निवासी गांव बडियार तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जोधसिंह सारंगदेवोत, अधिवक्ता वादीगण।
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 06.04.2021

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 707 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खतौनी में अंकित है जिसके पैमाईश के पूर्व के आराजी नम्बर 263/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा दर्ज थें। इस वाद में इस भूमि को वादगत कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित की जा रही हैं। पैमाईश के पूर्व भूमाप की जंजीर एक सो साढे बावन फीट की लम्बाई की थी जिसे इस पैमाईश सम्वत् 2023 में 132 फीट एक सौ बत्तीस फीट की लम्बाई की कर दी है इस नई जंजीर से वादगत भूमि का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा होती है, जबकि उसे मात्र 1 बीघा 5 बिस्वा दर्ज कर दिया हैं जबकि मुझ वादी के कब्जे में पूरा 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन कब्जे में हैं। जिस वजह से वादगत भूमि का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा दर्ज कराने के लिए यह वाद किया जा रहा हैं।
2. यह कि मौजा बडियार की आराजी [illegible]07 और इसके पडौस की आराजी नम्बर 708 पहले एक ही चक था जो [illegible] सवा जी गुर्जर के खातेदारी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

था, उनके दो पुत्र स्व. देवा और स्व. जगरूप थे जिनमें 707 और 708 दो बराबर–बराबर रकबे के हिस्से कर स्व. देवा को 708 नम्बर की जमीन और वादी के पिता स्व. जगरूप को 707 नम्बर की जमीन हिस्से में दी गई। दोनों की साढे तीन–साढे तीन बीघा हिस्से की जमीन थी। आराजी नम्बर 707 का पुराना नम्बर 263/2 मी. रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा थी। आराजी नम्बर 707 वादी के पिता स्व. जगरूप के हिस्से कब्जे में आई तो आराजी नम्बर 708 वादी के ताउ अर्थात् स्व. जगरूप के बडे भाई स्व. देवा के हिस्से कब्जे में आई। वादी के पिता एवं उसके भाई स्व. देवा का सजरा निम्न प्रकार है :–

3. यह कि मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा खतौनी में अंकित होना चाहिए क्योंकि यही 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के कब्जे में है, किसी अन्य पडौसी के कब्जे में वादी की भूमि नहीं है। केवल सेटलमेन्ट कर्मचारियों की लिखावटी भूल से वादी की आराजी नम्बर 707 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के बजाय मात्र 1 बीघा 5 बिव ही दर्ज कर दिया हैं।

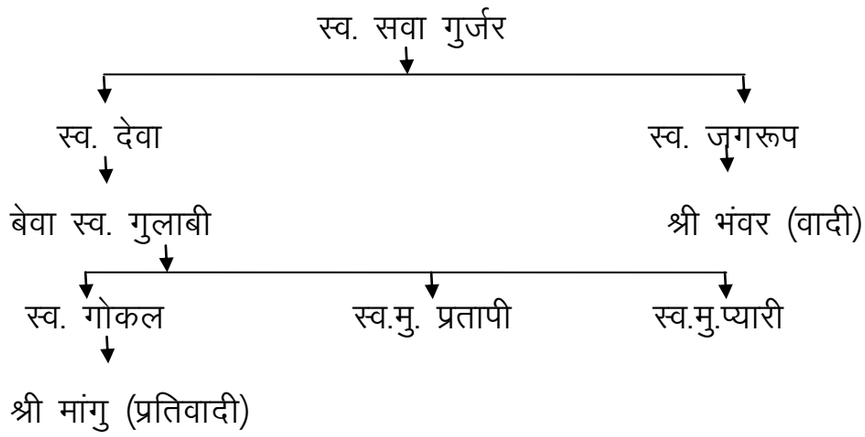

4. यह कि प्रतिवादी सं. 2 श्री मांगु पिता स्व. गोकल वादी के स्व. पिता जगरूप के बडे भाई स्व. देवा के पुत्र गोकल का पुत्र है, जिसके कब्जे में वादगत भूमि आराजी नम्बर 707 के उत्तरी पडौस की आराजी नम्बर 708 की भूमि है। मामले को स्पष्ट करने के लिए मांगु को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है परन्तु उसके खिलाफ कोई दाद नहीं चाही जा रही हैं। अतः निवेदन है कि मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा होने की घोषणा फरमाई जावे।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 1 राजपेरोकार द्वारा जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर वादी का वाद तथ्यहीन होकर खारिज योग्य होने से खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौका रिपोर्ट ली गई।

6. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :—

   1. आया गत पैमाईश सम्वत् 2022 से 2025 के पूर्व वादगत आराजी नम्बर 707 मौजा बडियार के आराजी नम्बर 263/2 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा था। ....वादी
   2. आया वादी के कब्जे में आराजी नम्बर 707 का पूर्वानुसार कब्जा 4 बीघा 10 बिस्वा पर हैं। ....वादी
   3. आया मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा है न कि 1 बीघा 5 बिस्वा हैं। ....वादी
   4. आया मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 और पडोस की आराजी नम्बर 708 पूर्व में एक ही स्वामी स्व. सवा गुर्जर था और दोनों का बराबर—बराबर रकबा था, आराजी नम्बर 707 वादी के पिता स्व. जगरूप के हिस्से कब्जे में आया और आराजी नम्बर 708 उसके भाई स्व. देवा के कब्जे में आया। ....वादी
   5. आया वादी ने धारा 80 सी.पी.सी. के अनुसार वाद पूर्व सूचना पत्र दिया है और वाद किया हैं। ....वादी
   6. आया वादी मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 का रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के स्थान पर 4 बीघा 10 बिस्वा घोषित कराने का अधिकारी हैं। ....वादी
   7. दादरसी।

7. वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री भमरू का पेश किया।

8. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061—64 प्रदर्श 1, खसरा नकल सम्वत् 2021 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत् 2022—25 प्रदर्श 4,5, पंजीकृत सूचना पत्र प्रदर्श 6, पोस्ट ऑफिस रसीद प्रदर्श 7, पोस्ट ऑफिस रसीद प्रदर्श 8, प्रार्थना पत्र पोस्ट ऑफिस नकल प्रदर्श 9, पोस्ट ऑफिस प्रार्थना पत्र नकल प्रदर्श 10, पोस्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

ऑफिस रसीद प्रदर्श 11 पेश की। राजपैरोकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं राजपेरोकार की बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में जवाब व रिपोर्ट के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

  1. आया गत पैमाईश सम्वत् 2022 से 2025 के पूर्व वादगत आराजी नम्बर 707 मौजा बडियार के आराजी नम्बर 263/2 का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा था।

     उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 प्रदर्श 1 जिसमें आराजी नम्बर 707 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित हैं इसी भूमि का सेटलमेन्ट का मिलान खसरा सम्वत् 2021 प्रदर्श 2 पेश किया जिसमें आराजी नम्बर 707 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के गत नम्बर 263/2 मी. रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा अंकित होकर जगरूप पिता सवा के नाम का अंकन कर रखा हैं। उक्त दस्तावेज से वादी उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

  2. आया वादी के कब्जे में आराजी नम्बर 707 का पूर्वानुसार कब्जा 4 बीघा 10 बिस्वा पर हैं।

     उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने वाद के साथ दस्तावेज पेश किये। शपथ पत्र पेश कर मौके पर 4 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा होना बताया हैं। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट में भी भूमि की नाप अनुसार कब्जा 4 बीघा 5 बिस्वा पर होना बताया हैं। अ[illegible] तनकी वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

3. आया मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा है न कि 1 बीघा 5 बिस्वा हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा दस्तावेज एवं शपथ पत्र पेश किया जिनमें वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी द्वारा इस तथ्य को साबित नहीं करा पाया है कि वादग्रस्त आराजीयात 707 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा अंकित हो। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कहीं पर भी उक्त आराजी नम्बर 707 के रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा का अंकन नहीं हैं एवं ना ही वादी द्वारा इस तथ्य को अपने दस्तावेजों गवाहो के आधार पर साबित करा पाया हैं। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

4. आया मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 और पडोस की आराजी नम्बर 708 पूर्व में एक ही स्वामी स्व. सवा गुर्जर था और दोनों का बराबर–बराबर रकबा था, आराजी नम्बर 707 वादी के पिता स्व. जगरूप के हिस्से कब्जे में आया और आराजी नम्बर 708 उसके भाई स्व. देवा के कब्जे में आया।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। पत्रावली में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 707 के मूल नम्बर 263/2 मी. रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जगरूप पिता सवा गुजर एवं आराजी नम्बर 708 के गत नम्बर 263/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा होकर देवा पिता सवा गुजर के नाम पर दर्ज होने का अंकन है जो खसरा सेटलमेन्ट सम्वत् 2021 नकल से स्पष्ट हैं। अतः तनकी को वादी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

5. आया वादी ने धारा 80 सी.पी.सी. के अनुसार वाद पूर्व सूचना पत्र दिया है और वाद किया हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा पूर्व में 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जिसकी प्रति प्रदर्श 6 एवं रसीद प्रदर्श 7 पेश की हैं। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

6. आया वादी मौजा बडियार की आराजी नम्बर 707 का रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के स्थान पर 4 बीघा 10 बिस्वा घोषित कराने का अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर रहा। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 भमरू पेश किया। दस्तावेज नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 प्रदर्श 1, खसरा नकल सम्वत् 2021 प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत् 2022–25 प्रदर्श 4,5 पेश किये। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। रिपोर्ट में तहसीलदार मावली द्वारा आराजी नम्बर 707 का वर्तमान रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित होना बताकर मौके पर आराजीयात की माप 4 बीघा 5 बिस्वा होने का कथन किया हैं। वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें ऐसा कोई भी दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं किये जिसके आधार पर वादी के आराजी नम्बर 707 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के तथ्य को साबित किया जा सकें। इस सम्बन्ध में तनकी नम्बर 2 को वादी के पक्ष में आंशिक निर्णित की गई हैं। जिसके आधार पर भी यदि एक बार के लिए आराजी नम्बर 707 का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा मान भी लिया जाता है तो भी मिलान खसरा पत्रक अनुसार आराजी नम्बर 707 के अतिरिक्त भूमि का रकबा किस आराजी में सेटलमेन्ट के द्वारा मिलाया गया हैं। यह साबित नहीं किया जा सकता हैं। वादी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे आराजी नम्बर 707 के शेष रकबा को किस आराजी में मिलाया गया है उस तथ्य को साबित किया जा सके। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

11. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 263/2 मी. का रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा होकर जगरूप के नाम दर्ज था, जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 707 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा सेटमेन्ट से दर्ज हो गये हैं। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट एवं तनकीवार निष्कर्ष से प्रथम दृष्टया उक्त आराजी नम्बर 707 के वर्तमान में भूमि का माप व वादी का कब्जा 4 बीघा [illegible] पर पाया गया हैं। चूंकि सेटलमेन्ट के दौरान आराजी नम्बर [illegible] के अनुसार 4 बीघा 10 बिस्वा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

बजाय 1 बीघा 5 बिस्वा अंकित कर दिया गया हैं। रहा प्रश्न आराजी नम्बर 707 में कम किये गये रकबे को किस आराजी में अतिरिक्त रूप में जोडा गया हैं उस तथ्य को वादी को साबित कराना था, जिसे वादी साबित कराने में पूर्ण रूप से साबित कराने में असफल रहा हैं। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से भी बडे हुए रकबे का किस आराजी में शामिल होने का तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया हैं। यदि वादी का वाद स्वीकार कर भी लिया जाता है तो इससे सम्पूर्ण गांव का रकबा बढ जायेगा। वादी के वाद को स्वीकार करने के लिए किसी आराजी में से उतना रकबा कम करना पडेगा, जो किस आराजी से कम होगा यह तकनीकी बिन्दु हैं। बढा हुआ रकबा किस आराजी से कम किया जाना हैं उक्त तथ्य को वादी को साबित कराना चाहिए था जिसे वादी साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः इस स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निर्णय के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मयंक मनीष, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भमरू पिता स्व. जगरूप गुजर निवासी बडियार तह. मावली।
1/1 श्री भगु पिता भवरू गुजर निवासी बडियार तह. मावली।
1/2 श्रीमती भोली पत्नी बाघालाल गुजर निवासी भीमल तह. मावली।
1/3 श्रीमती कंकु पत्नी भेरूलाल गुजर निवासी बडियार का वाडा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. श्री मांगु पिता गोकलचन्द गुर्जर निवासी गांव बडियार तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 26/09 (वाद) (GCMS–2009/00171)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.04.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.27 11:54:58 IST
Reason: SelfAttested